

फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

नाम आशा कार्यवाही	आशा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
----------------------	--------------------	-------------

17 ⁸/₂₅ पत्रावली प्रस्तुत वकील वादी उपस्थित। वादी
~~को पेश किया~~ व हल सुनी गई, पत्रावली वास्तु
 आदेश दिनांक 27/8/25 को पेश हो

27 ⁸/₂₅ पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एंड बार
 एसो. जयपुर द्वारा कार्य रिथगित किए जाने
 से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/8/25
 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
आमेर म० जयपुर

28 ⁰⁸/₂₀₂₅ पत्रावली प्रस्तुत वकील वादी उपस्थित। वास्तु
 आदेश दिनांक 29 ⁰⁸/₂₀₂₅ को पेश हो

सहायक कलक्टर
आमेर म० जयपुर

29 ⁰⁸/₂₀₂₅ पत्रावली प्रस्तुत वकील वादी उपस्थित। वाद
 वादी डिफेंडी किया जाता है विस्तृत निर्णय
 व डिफेंडी पुस्तक से लिखवाया गया। पत्रावली
 फिल्ल शुभा लोक टाठिल दफ्त हो

सहायक कलक्टर
आमेर म० जयपुर



न्यायालय :- सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.



नियमित वाद संख्या - 50/2024

वाद प्रस्तुति दिनांक - 01.05.2025

1. कैलाश पुत्र चुन्नीलाल
2. गोपाल पुत्र रामस्वरूप
3. नेता उर्फ रामगोपाल पुत्र मंगलचन्द
4. बनवारी पुत्र रामस्वरूप
5. बंशी पुत्र लक्ष्मीनारायण,
6. सुरेश पुत्र लक्ष्मीनारायण

समस्त उम्र-वयस्कान, जाति-बागडा ब्राह्मण, निवासी-ग्राम चतरपुर, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर राज.। हाल निवासी-गाँव किशनपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर राज.।

.....वादीगण

बनाम

1. भैरूराम पुत्र उदाराम, जाति-जाट, निवासी-ग्राम सरदारपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर राज.।

... प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा- 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

(1) श्री नरेश कुमार आत्रेय व श्री करण स्वामी - अधिवक्ता वादी की ओर से

दिनांक 29.08.2025

::निर्णय::

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि हाल आराजी खसरा नम्बरान-591 रकबा 1.8000 व खसरा नम्बर-592. रकबा 0.0100, खसरा नम्बर-593 रकबा 3.1600 कुल किता 3 कुल रकबा 4.9700 हैक्टेयर लगानी 66.4200 पैसे वाके ग्राम पटवार हल्का चतरपुरा, भू.अ.नि. रोजदा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी वादी संख्या-1 कैलाश के नाम 1/4 हिस्सा, वादी संख्या-2 गोपाल के नाम 1/8 हिस्सा, वादी संख्या-3 नेता उर्फ रामगोपाल के नाम 1/4 हिस्सा व वादी संख्या-4 बनवारी के नाम 1/8 हिस्सा व वादी संख्या 5 बंशी के नाम 1/8 हिस्सा व वादी संख्या-6 सुरेश के नाम 1/8 हिस्सा भू-भाग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त आराजी खाता संख्या नया 99 व खाता संख्या पुराना 92 है। नकल चालू

सहायक कलक्टर
आमेर मू. जयपुर



जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 यहल्फ पेश है। हाल आराजी खसरा नम्बर-142/599 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर-143 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर-144 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर-145 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर-146 रकबा 2.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर-146/651 रकबा 0.5500 हैक्टेयर कुल कित्ता 6 कुल रकबा 3.2800 हैक्टेयर लगानी 45.42 पैसे जिसके खाता संख्या नया 89 व खाता संख्या पुराना 89 है। उक्त आराजी की राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी प्रतिवादी संख्या-1 के नाम दर्ज है जो कि वाके ग्राम सरदारपुरा, पटवार रोजदा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में स्थित है। उपरोक्त आराजी वर्णित वाद पत्र की खण्ड संख्या-1 वाके ग्राम चतरपुरा, पटवार हल्का चतरपुरा, भू.अ.नि: रोजदा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर वादीगण संख्या-1 लगायत 6 की कब्जे काश्त व खातेदारी कृषि भूमि रही है जिसमें वादीगण अपने खातेदारी हक हकूको के तहत काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है जिसमें बोरिंग लगा हुआ है व खेजड़े व बबूल इत्यादि के पेड़ लगे हुये है जिसमें सिंव डोल व तारबाउण्डी की हुई है। वादीगण की उक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी से प्रतिवादी संख्या-1 या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कभी कोई संबंध या वास्ता नही रहा है। इस प्रकार वादीगण वैध कानूनी रूप से अपनी उक्त कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकारों के तहत काबिज आमद है। वादीगण की उक्त आराजी कृषि भूमि वर्णित वाद पत्र की मद संख्या-1 के लगती हुई दक्षिण दिशा की ओर प्रतिवादी संख्या-1 की कृषि भूमि वर्णित वाद पत्र की मद संख्या-2 वाके ग्राम सरदारपुरा, पटवार हल्का रोजदा की कृषि भूमि लगती हुई है। जिस कारण से कुछ अर्से से उक्त प्रतिवादी संख्या-1 व उसके परिवारजन आये दिन वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि में कब्जे काश्त में माजाहमत करते है व आये दिन वादीगण की सिंवडोल को तोड़कर जबरन वादीगण की कृषि भूमि को गैर कानूनी तरीके से अपनी कृषि भूमि में मिलाने की नाजायज कोशिश करते है। उक्त वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी कृषि भूमि की तारबंदी को आये दिन क्षतिग्रस्त करते रहते है व जबरन सिंवडोल पर खडे नीवं, खेजड़े, बबूल के वृक्षों को क्षति कारित करते है व आये दिन वादीगण की कृषि भूमि की सिंवडोल व तारबंदी को लेकर विवाद उत्पन्न करते रहते है। जबकि उनको ऐसा करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नही है। वादीगण एक शरीफ व कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, जबकि प्रतिवादी संख्या-1 काफी प्रभावशाली धनबल वाला व्यक्ति है। उक्त प्रतिवादी संख्या-1 ने अर्सा 7 दिन पूर्व किन्हीं दीगर अजनबी माफिया गिरोह व अन्य व्यक्तियों को साथ लेकर वादीगण की कृषि भूमि वर्णित वाद पत्र की मद संख्या-1 में बनी मिट्टी की पुख्ता सिंवडोल को फावडे से काटने लग गये व जबरन वादीगण के खेत की सीमा पर लगी तारबंदी को हटाने लग गये थे व अनाधिकृत रूप से वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करने लग गये, उस वक्त वादीगण व उसके परिवारजनों ने प्रतिवादी संख्या-1 व उनके साथ व्यक्तियों को काफी समझाईश की कि वादीगण की उक्त आराजीयात राजस्व ग्राम चतरपुरा में

सहायक कलेक्टर
जयपुर



पढ़ती है वह वादीगण की उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या-1 की कृषि भूमि से कोई संबंध नहीं है व उक्त कृषि भूमि वाद पत्र की मद संख्या-1 व वर्णित वाद पत्र की मद संख्या-2 अलग-अलग राजस्व ग्राम में स्थित है, परन्तु प्रतिवादी संख्या-1 व उनके परिवारजनों व वादीगण कब्जे काश्त भूमि में मजाहमत पैदा करते रहते हैं, यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपनी उँची पहुंच व धन बल के आधार पर किन्हीं भू-माफिया गिरोह से साठगांठ करके वाद पत्र की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि वर्णित वाद पत्र की मद संख्या-1 में जबरन वादीगण को बेदखल करने में व वर्णित वाद पत्र की मद संख्या-3 लगायत 6 में वर्णितानुसार कामयाब हो गया तो वादीगण को अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि से महरूम होना पड़ेगा व अनेको मुकदमें बाजी में फंसना पड़ेगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धन राशि से करना संभव नहीं है। दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा व सीमा निश्चयकरण की मद संख्या-3 लगायत 7 में वर्णितानुसार व प्रतिवादी संख्या-1 के द्वारा आये दिन वाद पत्र की कृषि भूमि के सिंवडोल को क्षतिग्रस्त करने व तारबंदी को जबरन तोड़ने व सीमा विवाद उत्पन्न कर सीमा निश्चयकरण नहीं करने की ऐलानिया धमकी वादीगण को उनके कब्जे काश्त की कृषि भूमि में मजाहमत पैदा करने के फलस्वरूप दावा हरसूरत में अन्दर मियाद पेश है। उक्त आराजी मिनाते नालिश न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त वाद पत्र को सुनने व इसके निस्तारण करने के पूरे-पूरे कानूनन अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या-2 उक्त आराजीयात का लैण्ड होल्डर है इसलिए उसे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 1 की एकपक्षीय कार्यवाही होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गयी। तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. PW1 बंशी पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम चतरपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर राज. हाल निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर राज.।
2. PW2 ग्यारसा कैलाश पुत्र चुन्नीलाल जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम चतरपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर राज. हाल निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर राज.।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक प्रदर्श-1, प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा चतरपुरा खसरा नंबर 99- प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सरदारपुरा संवत 2073-2076 प्रदर्श -3, नक्शा ग्राम सरदारपुरा खसरा नक्शा खाता संख्या 89, प्रदर्श-4 पेश कर वादी ने प्रदर्शित करवाया।

सहायक कलेक्टर
जयपुर




प्रकरण संख्या - 50/2025
यउनवानी - कैलाश वनाम भैरुराम वर्मा
निर्णय दिनांक :- 29.08.2025

हमने विद्वान अधिवक्ताओं के एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा


पत्रावली का अवलोकन किया। तथा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया। वादीगण को वाद पत्र का स्वीकृत तथ्य है कि वादीगण की भूमि प्रतिवादी की भूमि से लगवा है। दोनो पक्षों के महज सीमा विवाद हैं विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 591 रकबा 1.8000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 592 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर-593 रकबा 3.1600 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.9700 हैक्टेयर वाके ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का चतरपुरा, भू.अ.नि. रोजदा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर का वादीगण रिकार्डेड खातेदार एवं काश्तकार है, यह जमाबंदी (संवत 2073-2076) प्रदर्श-1 एवं प्रदर्श-3 से सिद्ध है। कानूनी रूप से जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड से कब्जे की अवधारणा मानी जाती है। जब तक कि इस रिकार्ड को प्रतिकूल साबित नहीं किया गया हो। जमाबंदी (संवत 2073-2076) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का उपर्युक्त खसरा नम्बर 591 रकबा 1.8000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 592 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर-593 रकबा 3.1600 हैक्टेयर पर कब्जा है। अतः वाद वादीगण डिक्री किये योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद डिक्री किया जा कर प्रतिवादी संख्या 1 को इस स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 591 रकबा 1.8000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 592 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर-593 रकबा 3.1600 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.9700 हैक्टेयर वाके ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का चतरपुरा, भू.अ.नि. रोजदा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर की सीमा तक किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करे, ना ही उसकी सीमा में प्रवेश करे। तथा वादीगण सीमा निश्चयकरण हेतु सक्षम न्यायालय में आवेदन करे। तहसीलदार रामपुरा रामपुरा डाबडी जयपुर को पालना हेतु तहरीर जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।


सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

डिप्टी मुकदमा इन्दादाई
(ओ 20 रुका 0 व 7 जाका सीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी सुगन चौधरी (आर.ए.एरा)



वाद प्रस्तुति दिनांक - 01.08.2025

नियमित वाद संख्या - 50/2024

1. कैलाश पुत्र चुन्नीलाल
2. गोपाल पुत्र रामस्वरूप
3. नेता उर्फ रामगोपाल पुत्र मंगलचन्द
4. बनवारी पुत्र रामस्वरूप
5. बंशी पुत्र लक्ष्मीनारायण,
6. सुरेश पुत्र लक्ष्मीनारायण

समस्त उम्र-वयस्कान, जाति-बागडा ब्राह्मण, निवासी-ग्राम चतरपुरा, तह. रामपुरा
डाबडी। हाल निवासी-गाँव किशनपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जयपुर राज.।
.....वादीगण

बनाम

1. भैरूराम पुत्र उदाराम, जाति-जाट, निवासी-ग्राम सरदारपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर राज.।
... प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा- 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 29.08.2025

प्रतिवादी संख्या 1 को इस स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद
वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 591 रकबा 1.8000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 592 रकबा
0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर-593 रकबा 3.1600 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.
9700 हैक्टेयर वाके ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का चतरपुरा, भू.अ.नि. रोजदा, तहसील रामपुरा
डाबडी, जिला जयपुर की सीमा तक किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करे, ना ही उसकी
सीमा में प्रवेश करे। तथा वादीगण सीमा निश्चयकरण हेतू सक्षम न्यायालय में आवेदन
करे। तहसीलदार रामपुरा रामपुरा डाबडी जयपुर को पालना हेतू तहरीर जारी हो।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 29.08.2025 को जारी किया।

दस्तखत ———
ओहदा ———

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददाई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	-	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	-
स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये	-	स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये	-
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रुपये		मुतफरित	4 रुपये	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर